सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 11/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2015/00018

अनवान

1. श्री दिनेश मीणा पिता स्व0 बदा मीणा, निवासी महूवाडा, तह ऋषभदेव, जिला उदयपुर
2. श्री महेश मीणा पिता स्व0 बदा मीणा, निवासी महूवाडा, तह ऋषभदेव, जिला उदयपुर
3. श्रीमती पुनकी पत्नि स्व0 बदा मीणा, निवासी महूवाडा, तह ऋषभदेव, जिला उदयपुर
4. श्री कान जी पिता स्व0 नाथू जी मीणा, नवासी महूवाडा, तह ऋषभदेव, जिला उदयपुर
5. श्री देवीलाल पिता स्व0 नाथू जी मीणा, निवासी महूवाडा, तह ऋषभदेव, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री योगेश मीणा पिता हजारीमल मीणा, निवासी महूवाडा, तह. ऋषभदेव, जिला उदयपुर
2. श्रीमती पार्वती देवी पत्नि योगेश मीणा, निवासी महूवाडा, तह. ऋषभदेव, जिला उदयपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मदन सिंह चौहान, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 10-05-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि प्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 क्रमशः स्व0 श्री बदा के पुत्र व पत्नि है तथा प्रार्थी संख्या 4 व 5 स्व0 बदा के छोटे भाई है। बदा की मृत्यु दिनांक 11.12.2012 को हुयी है। प्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता स्व0 श्री बदा पिता नाथु मीणा द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश किया जिसके आधार पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं आवंटन कमेटी की राय के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा मौजा महूवाडा की आराजी संख्या 348 रकबा 05 बीघा का आवंटन श्री बदा पिता नाथु को किया गया, जिसके आवंटन पत्र में वर्णित आवंटन की समस्त शर्तों का पालन आवंटी द्वारा नियमानुसार किया गया। बदा पिता नाथु मीणा के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 100 नामान्तरकरण पंजिका महूवाडा में खोला गया है, जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2035–2036 में किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र के अनुसार आराजी नम्बर 348 के नये नम्बर 679 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 682 रकबा 1.48 हेक्टेयर एवं 936 रकबा 0.94 हेक्टेयर बने है।

कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा केम्प कटेव में दिनांक 08.04.2013 को विपक्षीगण के पक्ष में एक ही दिन में कृषि भूमि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, उसी दिवस को आवंटन जरिये मिसल संख्या 6/2013 आराजी संख्या 682 पर कर राजस्व रेकर्ड में भी बिना किसी जांच के अमल दरामद कर दिया। आराजी संख्या 682 पर प्रार्थीगण का सन् 1983 से कब्जा होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने काफी खर्चा कर इस भूमि का आबादान किया है, किन्तु राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नियमित रूप से न करने से वर्तमान आराजी संख्या 682 जमाबन्दी में बिलानाम काबिल काश्त रह जाने से जमाबन्दी में इन्द्राज नही किया गया। पुराना आराजी संख्या 348 में से नये नम्बर 682 की भूमि का पुनः विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः योगेश पिता हजारीमल एवं पार्वती पत्नि योगेश को कर दिया, जो विधि के विपरित हो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण द्वारा 70 फीट गहरा कुआं खोदा गया है जिससे आराजी संख्या 682 पर नियमित रूप से पिलाई का कार्य भी प्रार्थीगण द्वारा ही किया जाती है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता का भाई सेल टेक्स विभाग में होने एवं राजनैतिक प्रभाव का प्रयोग कर उक्त आवंटन प्रार्थीगण को सुने बिना व मौके की जांच किये बिना विपक्षीगण को कर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 के आवंटित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा भी विपक्षी संख्या 1 व 2 को सुपुर्द नही किया गया है। इस प्रकार विधि के विपरित विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि तुलनात्मक खसरा मिलान क्षेत्रफल से साबिक आराजी सख्या 348 का रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा बताया जा रहा है जिसके नये नम्बर 679 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, 682 रकबा 1.4800 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 936 रकबा 0.9400 हेक्टेयर बनना बताया गया है, जो गलत प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता तथा 3 के पति श्री बदा पिता नाथु मीणा को आराजी संख्या 348 में से 5 बीघा जमीन का आवंटन होना प्रार्थीगण द्वारा बताया जा रहा है किन्तु आराजी संख्या 348 में से कौनसी 05 बीघा जमीन आवंटित की गयी है यह नही बताया गया है। प्रार्थीगण ने आवंटन शर्तो की कोई पालना नही की है। उसका आराजी नम्बर 936 पर कब्जा है जिस पर उसका मकान बना हुआ है। प्रार्थीगण की जमीन व विपक्षीगण की भूमि के मध्य बाड है मौके पर प्रार्थी का कब्जा 683 पर है तथा उसी पर काश्त कर रहा है। विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा उन्हे आवंटित आराजी पर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। गुगल नक्शे से उक्त स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यदि विपक्षीगण को आवंटनशुदा भूमि को पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष को आवंटनशुदा थी तो प्रार्थीगण को इन्द्राज दुरूस्ती का वाद सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिये था। आराजी संख्या 348 का रकबा बहुत बडा था तथा आवंटन करते समय जो भाग बचा था उसके सेटलमेन्ट में 3 नये नम्बर पडे है। प्रार्थीगण के नाम आराजी संख्या 348 में जिस टुकडे का आवंटन किया गया है उसके हाल नम्बर क्या पडे है प्रार्थीगण द्वारा नही बताया

गया है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर आपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई नकले पेश नही की है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित हाल आराजी संख्या 682 रकबा 1.1800 हेक्टेयर पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को नियमानुसार आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि आवंटी के नाम दर्ज रेकर्ड है। आवंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन अथवा फ्रोड आवंटन नही हुआ है। प्रार्थीगण को आवंटित आराजी का हाल आराजी नम्बर 682 नही बना है। प्रार्थीगण का हाल आराजी संख्या 683 पर कब्जा हो प्रार्थीगण का मकान बना हुआ है। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 की जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 व 2 गैर खातेदार हक से दर्ज रेकर्ड है। इसी प्रकार 682 में 0.3000 हेक्टेयर जमीन ललित मीणा के नाम आवंटित हुयी है जिसके आराजी नम्बर 963/682 है, इसी प्रकार आराजी संख्या 936 रकबा 0.4700 हेक्टेयर अशोक पिता हांजा व सुगना पत्नि अशोक के नाम आवंटन हुयी है जो उसके खाते दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 679 रकबा 0.2200 हेक्टेयर बिलानाम सरकार है एवं प्रार्थीगण ने जानबूझकर आपने आवंटन का नक्शा पेश नही किया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 भूमिहीन काश्तकार है तथा भूमिहीन काश्तकार होने के कारण नियमानुसार ही विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन सलाहकार समिति की राय के आधार पर आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि कथित भूमि सन् 1984 के पश्चात् कभी खाते नही रही फिर भी उनके द्वारा 30 वर्षो तक कोई कार्यवाही नही की गयी और न ही इन्द्राज दुरूस्ती का कोई वाद पेश किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण को आवंटित भूमि का कभी आवंटन नही हुआ है। उन्हे आराजी नम्बर 383/348 रकबा 5 बीघा का आवंटन हुआ है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि का प्रार्थीगण की भूमि से कोई सरोकर न है एवं प्रार्थीगण द्वारा यह भी नही बताया गया है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि में किस प्रकार मिसप्रजेन्टेशन हुआ है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया आवंटन विधिनुकुल एवं नियमानुसार होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 सव्यय खारिज किया जाकर विपक्षीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा जावे।

प्रकरण में तहसीलदार ऋषभदेव से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2017/254 दिनांक 03.05.2017 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व ग्राम महूवाडा, तहसील ऋषभदेव के साबिक आराजी संख्या 348 रकबा 5 बीघा भूमि के हाल आराजी नम्बर 682 रकबा 1.1800 हेक्टेयर, 963/682 रकबा 0.3000 हेक्टेयर, 689 रकबा 0.08 हेक्टेयर बने है इनमें से खसरा संख्या 682 रकबा 1.18 हेक्टेयर पर श्री योगेश पिता हजारीमल, पार्वती पत्नि योगेश हि.ब. सा. देह गैर खातेदार, 963/682 रकबा 0.30 हेक्टेयर भूमि ललिता पिता मन्नलाल मीणा सा. देह गैर खातेदार दर्ज है। खसरा संख्या 679 बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। मौतबिरान के अनुसार आराजी संख्या 682 रकबा 1.1800 में से 0.23 हेक्टेयर पर श्री दिनेश, महेश पिता बदा, पुनकी पत्नि बदा, देवीलाल, कानजी पिता नाथु

मीणा द्वारा गेहूं बो रखे है एवं श्री देवीलाल पिता नाथु का लेन्टर लेवल मकान बना रखा है। शेष आराजी संख्या 682, 693/682 में योगेश पिता हजारीमल, पार्वती पत्नि योगेश हि.ब. का कब्जा काश्त है। रेकर्ड अनुसार श्री ललिता पिता मन्नालाल मीणा का मौके पर न तो कब्जा है न काश्त है। तहसीलदार ऋषभदेव से मामले में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन पत्रावली संख्या 4944/1983 एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से आवंटन पत्रावली संख्या 6/2013 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण के पिता को आवंटित भूमि का पुनः आवंटन विपक्षीगण को किया जाना, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना, विपक्षीगण को कार्यालय में बैठकर आवंटन करना, साबिक आराजी संख्या 348 में से नये नम्बर 682 बनना, राजस्व अधिकारियों की लापरवाही होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त की जाने की मांग की तथा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि मिसप्रजेन्टटेशन एवं गलत तथ्यो पर आधारित आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

2015(2) आर.आर.टी 1037

2015 (2) आर.आर.टी. 1064

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुये विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को विधिनुकुल होना, प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष को आवंटित आराजी के हाल नम्बर अन्य होना, मौके पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा होना, अत्यधिक विलम्ब से प्रार्थीगण द्वारा आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र पेश करना, दस्तावेजी साक्ष्य पेश न करना, आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की मांग की।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा दोनो आवंटन अधिकारियॉ से प्राप्त आवंटन पत्रावलीयों में उपलब्ध दस्तावेजों, प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली संख्या 4944/1983 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष श्री बदा पिता नाथु मीणा को साबिक आराजी संख्या 348 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 10.02.1983 को उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा किया गया है एवं आवंटन पत्रावली संख्या 6/2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को हाल आराजी संख्या 682 रकबा 1.1800 हेक्टेयर भूमि का आंवटन दिनांक 08.04.2013 को उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा किया गया है। प्रकरण में विवाद हाल आराजी संख्या 682 रकबा 1.1800 हेक्टेयर का है। जिस पर प्रार्थीगण का कथन है कि साबिक आराजी संख्या 348 रकबा 5 बीघा के हाल आराजी संख्या 682 बने है। जबकि रेस्पोडेन्ट का कथन है कि आराजी संख्या 348 रकबा 5

बीघा के नये नम्बर 682 नही बने है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान खसरे की प्रति अनुसार आराजी संख्या 348 के नये नम्बर 679 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 682 रकबा 1.48 हेक्टेयर, 936 रकबा 0.94 हेक्टेयर बने है। उक्त दोनो ही आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय के आधार पर हुये है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 100 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनके पूर्व पुरूष को आवंटित आराजी संख्या 348 में से 5 बीघा के नये नम्बर 383/348 बने है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह उल्लेख नही हुआ है कि प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष को किया गया आवंटन ही पश्चातवर्ती रूप से रेस्पोडेन्ट को किया गया है। साबिक आराजी संख्या 348 का रकबा बडा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आवंटित भूमि ही विपक्षी संख्या एक को आवंटित हुयी हो स्पष्ट नही है और न ही प्रार्थी द्वारा यह दस्तावेजी रूप में स्पष्ट किया गया है। प्रार्थी के पूर्व पुरूष श्री बदा पिता नाथु को आवंटित आराजी संख्या के 348 के नम्बर 383/348 बने थे एवं उसी आराजी के नये नम्बर 682 बने हो यह साबित करने में प्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता असफल रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना हम उचित नही समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा झांझर की पाल तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 682 रकबा 1.18 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 श्री योगेश पिता हजारीमल एवं विपक्षी संख्या 2 पार्वती पत्नि योगेश मीणा के पक्ष में उपखण्ड ऋषभदेव द्वारा मिसल नम्बर 6/2013 से किया गया आवंटन दिनांक 08.04.2013 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर